उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1468/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.241-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(308)-2023

लखनऊः दिनांकः 17 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं- (क) जलापूर्ति; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; (ग) स्वच्छता संरक्षण; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और (ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।	शून्य	शून्य";

(2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (क) में, शब्द "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, स्पष्टीकरण में, मद (क) में, उप-मद (i) में, शब्द "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्द और कोष्ठक "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, मद (i) में, शब्द "डाक विभाग के पश्चात्", शब्द और कोष्ठक "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रथम परंतुक में, मद (i) में, शब्द "डाक विभाग के पश्चात्", शब्द और कोष्ठक "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)" बढ़ा दिये जायेंगे;

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

17/11/5

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव